

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्य मन्त्री घोषणा सेख्या -216/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में न्यू-सोबला से सुवा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 10.800 किमी० में पड़ने वाली 6.100 है० वन भूमि का लो० नि० वि० को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि की माँग का पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए विस्तृत आख्या।

जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में न्यू-सोबला से सुवा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। स्वीकृत लम्बाई 10.800 किमी० की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का संख्या 62030/111(2)/14-04 (प्रा० आ०) दिनांक 21-नवम्बर 2014 से 74.16 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई हैं। प्रस्तावित मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव 9 मी० चौड़ाई में तैयार किये गये हैं। तथा वृक्षों की गिनती 9 मी० चौड़ाई में की गयी है। उक्त मोटर मार्ग न्यू-सोबला से सुवा 10.800 किमी० की लम्बाई में समाप्त होता है। प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्मित हो जाने के पश्चात उक्त क्षेत्र की आबादी तहसील मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय से जुड़ जायेगी। जिससे स्थानीय जनता को शिक्षा,स्वास्थ्य,बैंक बाजार व रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। लैण्ड शैड्यूल के अनुसार सरंखन में 5.445 हे० राज्य/सिविल भूमि, 0.315 हे० वन पंचायत भूमि, 0.340 हे० भूमि मलुवानिस्तारण एवं नाप भूमि 3.960 है० प्रभावित हो रही है।

अतः 6.100 हे० वनभूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव गठित कर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क स्वीकृति हेतु आन लाइन प्रेषित किया जा रहा है। जनहित में उक्त मोटर मार्ग का निर्माण आवश्यक है।

Waff
38

Pandey
सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
धारचूला (अरकोट)

mt
अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि
अरकोट (पिथौरागढ़)

हस्ताक्षर एवं नाम प्रयोक्ता एजेन्सी

जनपदीय वन-विकास
पिथौरागढ़ जन प्रशासन